बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* **सुशील कुमार**
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* **खुर्शीद अनवर सिद्दिकी**
मो. – 9771048046,
Email siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक ......7...... दिनांक ....10/5/19....

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– **श्री सुरेश पासवान, वि0प्र0से0, कोटि कमांक 442/11 विशेष सचिव, सम्प्रति निलम्बित के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निलम्बन से मुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

श्री सुरेश पासवान, वि0प्र0से0, कोटि कमांक 442/11 विशेष सचिव सम्प्रति निलम्बित द्वारा निलम्बन से मुक्त करने हेतु दिनांक 29.04.2019 को अभ्यावेदन भवदीय को समर्पित किया गया है। जिसकी प्रति अध्यक्ष, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार, पटना को भी दी गयी है। उक्त अभ्यावेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री पासवान विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित थे। इनके पदस्थापन के दौरान छात्रवृति भुगतान के मामले में तात्कालिक सचिव, श्री एस.एम. राजू. के विरुद्ध छात्रवृति भुगतान के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या 127/2016 में प्राथमिकी दर्ज की गयी, जिसमें अनावश्यक रुप से इन्हें भी अभियुक्त बना दिया गया। मात्र निगरानी काण्ड के आधार पर बिना कारण–पृच्छा एवं बगैर सफाई का मौका दिये दिनांक 16.01.2017 के प्रभाव से इन्हें निलम्बित कर दिया गया है जबकि इस मामले में ये बिल्कुल निर्दोष है तथा इस संदर्भ में पूर्व में संघ के पत्र संख्या 03, दिनांक 21.02.2017 एवं पत्र संख्या 52, दिनांक 13.11.2017 की ओर से भवदीय को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए निलम्बन से मुक्त करने अनुरोध किया गया था। लेकिन अभी तक श्री पासवान को निलम्बन से मुक्त करने पर कोई विचार नहीं किया गया है।

उल्लेखलीय है कि श्री पासवान के विरुद्ध बाद में आरोप गठित कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गयी। विभागीय जॉच आयुक्त द्वारा सभी कागजात एवं साक्ष्य देखने एवं सुनवाई के पश्चात् दिनांक 25.07.2018 को आदेश पारित किया गया। उन्होंने आरोप को मात्र अंशतः प्रमाणित किया। लेकिन विभागीय

जॉच आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि निगरानी विभाग ने प्राथमिकी संख्या 127/2016 में छात्रवृति के संबंध में निर्गत समूचे पत्र को नजर अंदाज करते हुए और उसके बीच के पृष्ठ को हटाते हुए जिसमें शर्त को लिखा गया था (प्राथमिकी दर्ज की है) जो निष्पक्षता एवं न्याय के दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। विभागीय मंतव्य में कहा गया है कि जिस राशि विमुक्ति के पत्र पर श्री पासवान के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था और उसमें श्री पासवान के द्वारा लगायी गई शर्तों के कारण ही संबंधित संस्थानों के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बची हुई राशि विभाग को वापस कर दी गयी। विभागीय मंतव्य में यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त प्राथमिकी में राशि विमुक्ति से संबंधित पत्र का आधा हिस्सा ही दर्शाया गया है जबकि प्राथमिकी के आधार पर ही आरोप गठित किया गया था। इस प्रकार श्री पासवान पर गठित आरोप सही प्रतीत नहीं होता है।

इसी प्रकार के तीन मामले को भवदीय के संज्ञान में लाना चाहूँगा :–

1. श्री दीपक आंनन्द, भा0प्र0से0 (2007) सम्प्रति भ्रष्टाचार में लिप्त में रहने एवं प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित आरोप आरोप प्राप्त होने पर इसकी प्रारभिक जॉच विशेष निगरानी के द्वारा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 की संगत धाराओं के अधीन थाना कांड 01/2018 दिनांक 02.01.2018 दर्ज किया गया है। फलस्वरुप इन्हें भी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या 1442 दिनांक 30.01.2018 के द्वारा निलम्बित किया गया। इस मामले में श्री आनन्द को यह कह कर निलम्बन मुक्त किया गया कि **"श्री आनन्द के विरुद्ध दर्ज उक्त थाना कांड अनुसंधान अन्तर्गत है जिसमें अनुसंधान पूर्ण होने में समय लगने की संभावना है"**। इसी आधार पर श्री आनन्द को निलम्बन से मुक्त करने का निर्णय लेते हुए निलम्बन से मुक्त कर दिया गया **(सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 5063 दिनांक 11.04.2019 की छायाप्रति संलग्न)**।

2. श्री विवेक कुमार, भा0पु0से0 (2007) तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा संज्ञेय अपराध के लिए धारा 13(2) सह पठित 13(1)(म) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया और उन्हें भी विभागीय संकल्प संख्या 3290 दिनांक 17.04.2018 द्वारा निलम्बित किया गया। इन्हें भी यह कहकर **"इनके विरुद्ध विशेष निगरानी इकाई, बिहार में मामला अभी भी अनुसंधानान्तर्गत है, जिसमें समय लगने की संभावना है। वर्तमान में भा0पु0से0 के राज्य संवर्ग में रिक्तियों एवं चुनाव प्रेक्षक के रुप में नामांकन के फलस्वरुप पदाधिकारियों की भारी कमी है"**, के आधार पर सरकार के संयुक्त सचिव, गृह विभाग, (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के संकल्प संख्या 3070 दिनांक 10.04.2019 द्वारा इन्हें निलम्बन से मुक्त किया गया। (छायाप्रति संलग्न)।

3. श्री रत्नमणि संजीव, भा0पु0से0 (2003), तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना को भ्रष्टाचार एवं संदिग्ध आचरण से संबंधित प्रकरणों में उनकी भूमिका की जॉच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से कराने एवं अग्निशाम मुख्यालय में

पटना से कराने का भी अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया एवं विभागीय संकल्प संख्या 8309 दिनांक 19.09.2018 द्वारा निलम्बित किया गया। सरकार के संयुक्त सचिव, गृह विभाग, (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के संकल्प संख्या 3071 दिनांक 10.04.2019 द्वारा यह कहते हुए श्री संजीव को निलम्बन से मुक्त कर दिया गया कि " **श्री संजीव के विरुद्ध निगरानी अन्वेष्ण ब्यूरो में जॉच की कार्रवाई चल रही है एवं उनके पूर्व के कार्यालय अग्निशाम मुख्यालय में लेखा कार्यों की गड़बड़ी की संभावना के मद्देनजर विशेष अंकेक्षण की कार्रवाई प्रकियाधीन है, जिसमें समय लगने की संभावना है। वर्तमान में भा0पु0से0 के राज्य संवर्ग में रिक्तियों एवं चुनाव प्रेक्षक के रुप में नामांकन के फलस्वरुप पदाधिकारियों की भारी कमी है"। (छायाप्रति संलग्न)।**

सरकार के उपरोक्त तीनों आदेश का बिहार प्रशासनिक सेवा संघ स्वागत करती है। संघ अपेक्षा करती है कि समरुप मामले में श्री पासवान के साथ साथ बिहार प्रशासनिक सेवा के निलम्बित अन्य पदाधिकारियों के मामले की समीक्षा कर न्यायालय में लम्बित मामलों के निष्पादन होने तक निलम्बित पदाधिकारी को निलम्बन से मुक्त करने की कृपा की जाय।

(खुर्शीद अनवर सिद्धिकी)
महासचिव

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :–सम्पादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10/5/19

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव